# **कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।**

**पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022** **दिनांक 08/10/2025**

**सेवा में,**

**पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर**
**अपर पुलिस महानिदेशक,**
**वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।**

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 07.10.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

**01. आदरणीय महोदय सराहनीय कार्य जनपद गाजीपुर**
**"श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को मृत्युदण्ड व 1,60,000/- रू अर्थदण्ड की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई सजा।**

थाना गहमर अंतर्गत ग्राम देवल में दिनांक 19.02.2024 को एक 07 वर्षीय बालक के गुम हो जाने की सूचना उसके परिजनों द्वारा थाना स्थानीय पर दी गई। तत्काल 363 भादवि में अभियोग पंजीकृत कर उक्त गुमशुदा बालक की तलाश प्रारंभ कर दी गई। तत्समय स्वाट, सर्विलांस सहित कई टीमें उक्त कार्य हेतु लगाई गई। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि उसके रिश्ते का चाचा संजय नट, जो पड़ोस में ही रहता है, अपने कमरे में किसी को, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी घुसने नहीं दे रहा है। शंका होने पर जब बलपूर्वक तलाशी ली गई तो उसके कमरे में बक्से में उक्त बच्चे का मृत शरीर बरामद हुआ। तत्काल सभी फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र किया गया। विवेचना के दौरान समस्त वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए ठोस साक्ष्य संकलित किए गए। दिनांक 04.04.2024 को आरोप पत्र धाराओं 363,377,302,5m/6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर दाखिल किया गया।

प्रभावी पैरवी, साक्षियों को माननीय न्यायालय में समय से उपस्थित करना और अभियोजन अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहते हुए नियमित मॉनिटरिंग के फलस्वरूप आज दिनांक

07.10.2025 को उक्त अभियोग के अपराधी संजय नट को फांसी की सजा माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई ।

सजा का विवरण-

दिनांक 07.10.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना गहमर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 30/2024 धारा – 363,377, 302 भादवि व 5m/5j (iv)/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त 1. संजय नट पुत्र लतिफ नट निवासी देवल, थाना गहमर, जनपद गाजीपुर को धारा 302 भादवि के तहत कारित अपराध हेतु मृत्युदण्ड तथा 50,000/- रु0 अर्थदण्ड , धारा 5m/5j (iv)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मृत्युदण्ड तथा 1 लाख रू0 अर्थदण्ड, धारा 363 भादवि के तहत 5 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000 रू0 का अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।

**<u>02. थाना करीमुद्दीनपुर पुलिस द्वारा 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।</u>**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.10.2025 को उ0नि0 अरविन्द कुमार मय हमराह द्वारा कामूपुर मोड पर चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर हरदासपुर मोड़ से 01 नफर अभियुक्त उमेश यादव उर्फ गुनगुन पुत्र जगदीश यादव निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर को 01अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-

1. उमेश यादव उर्फ गुनगुन पुत्र जगदीश यादव निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 096/25 धारा 304(2),317(2) बीएनएस थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 98/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 226/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर

बरामदगीः-

1. 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

**<u>03. थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार ।</u>**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 06.10.2025 को उ0नि0 शैलेश कुमार यादव थाना कोतवाली मय हमराह द्वारा मा0 न्यायालय श्रीमान प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय गाजीपुर से निर्गत एन0बी0डब्लू0 फौ0प्र0 वाद सं0 225/21 धारा 125 सीआरपीसी से सम्बन्धित वारण्टी भरत कुमार पुत्र छोटे लाल निवासी मुहल्ला मोहनपुरवा

थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 45 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पताः-

1 .भरत कुमार पुत्र छोटे लाल निवासी मुहल्ला मोहनपुरवा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 45 वर्ष।

**04. थाना दुल्लहपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 236/25 धारा 115(2),352351(3),110,191(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 08 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 07.10.2025 को उ0नि0 नारायण पाठक मय हमराह थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 236/25 धारा 115(2),352351(3),110,191(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण को अग्रेतर/संज्ञेय अपराध से रोकने हेतु थाना परिसर जनसुनवाई हेल्प डेक्स से 170/135/126 बीएनएसएस में गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1 .अभिषेक यादव पुत्र केदार यादव ग्राम सिखड़ी थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर
2 .सरवन पासवान पुत्र स्व0 रामजनम पासवान ग्राम महुवारी थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर
3 .रोशन यादव पुत्र वकील यादव ग्राम महेर थाना बिरनो जनपद गाजीपुर
4 .दीन दयाल राजभर पत्र राम पूजन राजभर ग्राम विजहरा थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर
5 .विशाल राजभर पुत्र लालमन राजभर ग्राम विजहरा थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर
6 .विशेख उर्फ बब्बी पुत्र परमेश राजभर ग्राम विजहरा थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर
7 .विशाल राजभर पुत्र राम स्वरुप राजभर ग्राम विजहरा थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर
8 .राकेश राजभर पुत्र पारस राजभर ग्राम विजहरा थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर

**05. थाना शादियाबाद पुलिस टीम द्वारा थाना दुल्लहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 206/2025 धारा 140(4),110,115(2),352,303(2),351(3) बीएनएस व 3(1),द,ध व 3(2) 5 ए एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार जिसके कब्जे से 01 अदद तमन्चा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.10.2025 को उ0नि0 आनन्द कुमार गुप्ता मय हमराह क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर थाना दुल्लहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 206/2025 धारा 140(4),110,115(2),352,303(2),351(3) बीएनएस व 3(1),द,ध व 3(2) 5 ए एससी/एसटी एक्ट थाना दुल्लहपुर में वांछित अभियुक्त निलेश यादव उर्फ विधायक पुत्र रविन्द्र यादव निवासी ग्राम नेवादा दुर्ग विजय राय थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 25 वर्ष को गुरैनी पेट्रोल

पंप के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अदद तमन्चा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 314/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1 .निलेश यादव उर्फ विधायक निवासी ग्राम नेवादा दुर्ग विजय राय थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 25 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण -

1 .एक अदद तमन्चा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अपराधिक इतिहासः-

1 .मु0अ0स0 119/2018 धारा 308,323,504 भादवि थाना शादियाबाद गाजीपुर

2 . मु0अ0सं0 37/2020 धारा 323,504,506 भादवि थाना शादियाबाद गाजीपुर

3 . मु0अ0सं0 77/2022 धारा 323,325,504,506 भादवि थाना शादियाबाद गाजीपुर

4 .मु0अ0सं0 167/2022 धारा 60(1) आबकारी अधि0व 272,419,420,467,468,471 भादवि थाना करण्डा गाजीपुर

5 .मु0अ0सं0203/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करण्डा गाजीपुर

6 .मु0अ0सं0 239/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधि0 थाना करण्डा गाजीपुर

7 . मु0अ0सं0 240/2024 धारा 115(2),118(1),191(2),351(3),352 भादवि थाना शादियाबाद गाजीपुर

8 .मु0अ0सं0 206/2025 धारा 140(4),110,115(2),352,303(2),351(3) बीएनएस व 3(1),द,ध व 3(2) 5 ए एससी/एसटी एक्ट थाना दुल्लहपुर गाजीपुर

9 .मु0अ0सं0 314/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शादियायाबाद गाजीपुर

**पुलिस अधीक्षक**
**गाजीपुर**